



Neutral Citation No - 2026:AHC:39442

एफ.आर.

सुरक्षित दिनांक: 05.01.2026

प्रदत्त दिनांक: 23.02.2026

वेबसाइट पर अपलोड किया गया: 23.02.2026

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बीएनएसएस की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या 45399/2025

विपिन कुमार व अन्य

...आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य

...विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता : मोहम्मद इमरान, सैयद सफदर अली काज़मी

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता : ललित कुमार पांडे, शेषाद्रि त्रिवेदी, जी. ए.

न्यायालय संख्या - 53

माननीय न्यायमूर्ति अनीश सक्सेना

1. अभियुक्त-आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री सैयद सफदर अली काज़मी; विपक्षी पक्ष संख्या 2 की ओर से विद्वान अधिवक्ता श्री शेषाद्रि त्रिवेदी; तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. सुश्री सीमा शुक्ला को सुना गया।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. वर्तमान आवेदन धारा 528 बीएनएसएस के अंतर्गत चार अभियुक्त-आवेदकों द्वारा इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि दिनांक 22.07.2025 के आरोपपत्र, दिनांक 26.08.2025 के समन आदेश तथा वाद संख्या 554 सन् 2025 राज्य बनाम विपिन कुमार एवं अन्य की कार्यवाही, जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, देवबंद, सहारनपुर की न्यायालय में लंबित है और जो मुकदमा अपराध संख्या 312 सन् 2025, धारा 69, 115(2), 352, 351(3) बीएनएस के अंतर्गत उत्पन्न हुई है, को निरस्त किया जाए। अभियुक्त-आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध मुख्य आरोप विवाह का झूठा वचन देकर यौन संबंध स्थापित करने का है। अन्य अभियुक्त, जो अभियुक्त-आवेदक संख्या 1 की पत्नी, बहन तथा बहनोई हैं, के विरुद्ध भी अभियुक्त-आवेदक संख्या 1 के साथ स्वेच्छा से चोट पहुँचाने, जानबूझकर अपमान करने तथा गंभीर आपराधिक धमकी देने के अपराधों में आरोपपत्र प्रस्तुत किया गया है।

3. विपक्षी पक्षकार संख्या 2 द्वारा 22.05.2025 को उपर्युक्त चार अभियुक्त आवेदकों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीड़िता (विपक्षी पक्षकार संख्या 2) की मुलाकात अभियुक्त आवेदक संख्या 1 से फेसबुक के माध्यम से हुई और मई 2018 से वह विवाह के झूठे वादे पर लगातार उसके साथ यौन संबंध बनाता रहा। पीड़िता चार बार गर्भवती हुई और हर बार उसका गर्भपात कराया गया, वह पाँचवीं बार फिर से गर्भवती हो गई। जब भी उसने विवाह के लिए कहा, तो आवेदक संख्या 1 टालता रहा। पीड़िता की गर्भावस्था की जानकारी मिलने पर अभियुक्त आवेदक संख्या 1 ने उस पर गर्भपात कराने का दबाव बनाना शुरू कर दिया, लेकिन उसने मना कर दिया। अभियुक्त आवेदक ने उससे विवाह करने से इनकार कर दिया और उसे जान से मारने, शारीरिक नुकसान पहुँचाने तथा गालियाँ देने की धमकी दी। आवेदक संख्या 1 की पत्नी, बहन और बहनोई ने भी उसे जान से मारने की धमकी देना शुरू कर दिया, उसे पैसे का लालच दिया और भारी रकम पर समझौता करने के लिए उसके परिवार पर दबाव डाला। एफआईआर से

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



यह भी पता चलता है कि आवेदक संख्या 1 के पास पीड़िता की आपत्तिजनक तस्वीरें और वीडियो भी हैं और वह उसका ब्लैकमेल करता था। 24.12.2024 को आवेदक संख्या 1 ने पीड़िता को एक होटल में बुलाया और उसके साथ यौन संबंध बनाए, जिससे वह पाँचवीं बार गर्भवती हो गई। यह भी बताया गया है कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 ने यही कार्य अन्य लड़कियों के साथ भी किया है। 11.05.2025 को आवेदक संख्या 1 पीड़िता को गर्भपात के लिए एक डॉक्टर के पास ले गया।

4. पीड़िता ने धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत अपने बयान में वही घटना दोहराई है जो एफआईआर में वर्णित है। उसने आगे बताया कि उसकी आयु 26 वर्ष है, उसने स्नातक (बैचलर ऑफ आर्ट्स) किया है, जीएनएम (जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी) का कोर्स किया है तथा बयान दर्ज कराए जाने के समय वह छह माह की गर्भवती थी।

5. इसके बाद पीड़िता ने बीएनएसएस की धारा 183 के तहत अपना बयान दिया, जिसमें उसने एफआईआर में कही गई बातों को फिर से दोहराया और बताया कि वह आरोपी नंबर 1 फेसबुक के ज़रिए दोस्त बने थे। दोस्ती के 5-6 महीने बाद आरोपी नंबर 1 ने उसे सहारनपुर के एक होटल में बुलाया। वहाँ आरोपी नंबर 1 ने उसे यह कहकर बहलाया-फुसलाया कि वे एक ही जाति के हैं, एक-दूसरे को काफी समय से जानते हैं और उसने भरोसा दिलाया कि वह उसके साथ कुछ गलत नहीं करेगा; इसके बाद उसने उसकी मर्जी के बिना उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता को इस बात का कोई अंदाज़ा नहीं था कि शारीरिक संबंध बनाते समय आरोपी नंबर 1 ने उसका वीडियो और तस्वीरें बना ली थीं, और बाद में वह उसे और सेक्स करने और अबॉर्शन (गर्भपात) के लिए ब्लैकमेल करने लगा। उसने उसके मोबाइल फोन पर वीडियो भी भेजा था। कुछ समय पहले ही उसे पता चला कि आरोपी नंबर 1 शादीशुदा है और उसके दो बच्चे हैं। जब आरोपी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



की पत्नी ने समझौता करने के लिए उसे फोन किया, तब उसे पता चला कि आरोपी नंबर 2 उसके गाँव की ही निवासी है।

6. पीड़िता के पिता ने धारा 180 बीएनएसएस के अंतर्गत अपने बयान में कहा है कि पीड़िता को यह जानकारी नहीं थी कि अभियुक्त आवेदक, आवेदक संख्या 2 प्रीति का पति है, जो उसी गाँव की निवासी है। उन्होंने आगे कहा कि अभियुक्तगण पीड़िता और उसके परिवार पर समझौता करने के लिए दबाव बना रहे हैं।

7. इन आरोपों के आधार पर अभियुक्त आवेदकों ने यह आवेदन प्रस्तुत किया है कि संपूर्ण कार्यवाही को इस आधार पर निरस्त किया जाए कि दोनों के बीच का संबंध सहमति-आधारित था। आवेदकों के अधिवक्ता का यह तर्क है कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 ने विपक्षी पक्ष संख्या 2 के साथ यौन संबंध स्थापित करने के लिए कोई छलपूर्ण तरीका नहीं अपनाया। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 द्वारा पीड़िता को विवाह का कोई झूठा वादा नहीं किया गया था, जिसने वर्ष 2016 में अपने परिवार के साथ अभियुक्त आवेदक संख्या 1 और आवेदक संख्या 2 के विवाह में भाग लिया था और यह जानती थी कि अभियुक्त आवेदक विवाहित है। इसके बावजूद, उसने अभियुक्त आवेदक संख्या 1 से वित्तीय सहायता प्राप्त करने के उद्देश्य से आवेदक संख्या 1 के साथ यौन संबंध स्थापित किए। प्राथमिकी तब दर्ज की गई जब आवेदक संख्या 1 ने यह वित्तीय सहायता देने से इंकार कर दिया। वह प्रस्तुत करते हैं कि चिकित्सीय परीक्षण के दौरान पीड़िता ने डॉक्टर के समक्ष विशेष रूप से यह कहा था कि उसे तीन वर्ष पूर्व से यह ज्ञात था कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 एक विवाहित व्यक्ति है। वह आगे स्वीकार करते हैं कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 और पीड़िता के बीच अवैध संबंध से जन्मे बच्चे की देखभाल की जाएगी और बच्चे के अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि प्राथमिकी अत्यधिक

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



विलंब से दर्ज की गई; पीड़िता एक शिक्षित महिला है और वह आवेदक संख्या 1 के साथ यौन संबंध स्थापित करने के अपने आचरण के लाभ और हानि से परिचित थी। अपने तर्क के समर्थन में, विद्वान अधिवक्ता ने **अमोल भगवान नेहुल बनाम महाराष्ट्र राज्य और अन्य 1; महेश दामू खरे बनाम महाराष्ट्र राज्य 2; और उदय बनाम कर्नाटक राज्य 3** में दिए गए फैसलों का हवाला दिया है।

8. राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. तथा विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि अभिलेख पर पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है जिससे यह प्रदर्शित होता है कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1, जो पहले से विवाहित है, ने पीड़िता को विवाह करने का वचन दिया था और वह लंबे समय से फेसबुक के माध्यम से पीड़िता के संपर्क में था। अभियुक्त आवेदक संख्या 1 विवाहित है और उसे ज्ञात था कि विवाह का उसका वादा प्रारम्भ से ही छलपूर्ण था। अभियुक्त आवेदक ने पीड़िता को एक होटल में बुलाया, जहाँ उसने उससे विवाह का आश्वासन दिया, उसकी सहमति प्राप्त की और उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए। अभियुक्त आवेदक स्वयं होटल व्यवसाय से जुड़ा हुआ है और इसलिए उसने अंतरंग क्षणों के दौरान पीड़िता के वीडियो एवं फोटो बनाए तथा उसे ब्लैकमेल किया, क्योंकि वह जानता था कि वह विवाहित है और विवाह के वादे को पूरा नहीं कर सकता। अतः पीड़िता को ब्लैकमेल करने के उद्देश्य से उसने होटल के कमरे में गुप्त रूप से कैमरा लगाकर उसके वीडियो एवं फोटो रिकॉर्ड किए। आगे यह प्रस्तुत किया गया कि यह अभियुक्त आवेदक द्वारा किया गया मात्र एक बहाना है कि आवेदक संख्या 1 के साथ संबंध स्थापित करने से पूर्व पीड़िता को यह ज्ञात था कि वह विवाहित है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि आवेदकों द्वारा लगाए गए आरोप कि उन्होंने पीड़िता को आर्थिक सहायता प्रदान की थी और जब वह आर्थिक सहायता वापस मांगी गई, तब एफ.आई.आर. दर्ज कराई गई, यह आरोप केस डायरी का हिस्सा नहीं है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 फरार है

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



और उसने न्यायालय के समक्ष स्वच्छ मनोभाव के साथ उपस्थिति नहीं दी है, क्योंकि वह विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं हो रहा है। आगे यह भी प्रस्तुत किया गया कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 114ए के अंतर्गत बलात्कार के कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव के संबंध में एक उपधारणा लागू होती है, क्योंकि अभियुक्त आवेदक संख्या 1 ने पीड़िता के साथ बार-बार बलात्कार किया है। अतः यह प्रस्तुत किया गया कि यह आवेदन गुण-दोष से रहित है और निरस्त किए जाने योग्य है। अपनी दलीलों के समर्थन में विपक्षी पक्ष संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता ने **येडला श्रीनिवास राव बनाम आंध्र प्रदेश राज्य (पैराग्राफ नंबर 15 से 17)** के फैसले का हवाला दिया है।

“[15] इस संदर्भ में भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किए गए संशोधन का उल्लेख किया जा सकता है। धारा 114ए को जोड़ा गया था और बलात्कार के कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव के संबंध में एक अनुमान स्थापित किया गया है। धारा 114-ए निम्नानुसार है:”

धारा 114A - बलात्कार के कुछ अभियोजनों में सहमति के अभाव के संबंध में उपधारणा।— भारतीय दंड संहिता, 1860 (1860 का 45) की धारा 376 की उपधारा (2) के खंड (ए) या खंड (बी) या खंड (सी) या खंड (डी) या खंड (ई) या खंड (जी) के अंतर्गत बलात्कार के अभियोजन में, जहाँ अभियुक्त द्वारा यौन संबंध स्थापित किया जाना सिद्ध हो जाता है और प्रश्न यह हो कि क्या वह स्त्री की सहमति के बिना था, जिसके बारे में बलात्कार किए जाने का आरोप है, तथा वह न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कथन करती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह उपधारणा करेगा कि उसने सहमति नहीं दी थी।”

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



[16] यदि अभियुक्त द्वारा यौन संबंध स्थापित किया गया हो और यह सिद्ध हो जाए कि वह अभियोजिका की सहमति के बिना था तथा वह न्यायालय के समक्ष अपने साक्ष्य में यह कहती है कि उसने सहमति नहीं दी थी, तो न्यायालय यह अनुमान लगाएगा कि उसने सहमति नहीं दी थी। महिलाओं के विरुद्ध किए जाने वाले अत्याचारों को ध्यान में रखते हुए विधायिका ने साक्ष्य अधिनियम में यह उपधारणा सम्मिलित की है और वर्तमान मामले में पीडब्ल्यू के कथन के अनुसार उसने प्रतिरोध किया था और प्रारंभ में अभियुक्त को सहमति नहीं दी थी, फिर भी उसने उसके साथ बलात्कार किया। अभियुक्त ने उसे आश्वासन दिया कि वह उससे विवाह करेगा और अपनी वासना की पूर्ति करता रहा, जब तक कि वह गर्भवती नहीं हो गई और यह स्पष्ट नहीं हो गया कि अभियुक्त उससे विवाह करना नहीं चाहता था।

[17] वर्तमान मामले में, ऊपर उल्लिखित तथ्यों को देखते हुए, हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि अभियुक्त द्वारा प्राप्त की गई सहमति स्वैच्छिक नहीं थी, जिसे उसने इस तथ्य के भ्रम के अधीन दिया था कि अभियुक्त उससे विवाह करेगा, बल्कि यह विधि की दृष्टि में वैध सहमति नहीं है। यह बात पीडब्ल्यू1 तथा पीडब्ल्यू6 की गवाही से और अधिक स्पष्ट होती है, जो पंचायत के रूप में कार्य कर रहे थे, जहाँ अभियुक्त ने स्वीकार किया था कि उसने यौन संबंध स्थापित किए थे और उससे विवाह करने का वादा किया था, किंतु पंचायत के समक्ष किए गए उस वादे के बावजूद वह फरार हो गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त का प्रारंभ से ही उससे विवाह करने का कोई इरादा नहीं था और उसने अभियोजन पक्ष की पीड़िता के इस तथ्यगत भ्रम का पूर्णतः लाभ उठाते हुए यौन संबंध स्थापित किए कि वह उससे विवाह करेगा। इसलिए,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



हम संतुष्ट हैं कि अपीलकर्ता को दी गई दोषसिद्धि और सजा सही है तथा हमारे हस्तक्षेप के लिए कोई मामला नहीं बनता। अपीलें खारिज की जाती हैं।

9. इस न्यायालय ने पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिद्वंद्वी तर्कों पर विचार किया है और अभिलेख का अवलोकन किया है।

10. वर्तमान आवेदन में चिंता का विषय यह है कि क्या प्रथम दृष्टया पीड़िता द्वारा आवेदक अभियुक्त के विरुद्ध लगाए गए आरोप विचारण को आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त हैं, अथवा विचारण की निरंतरता विधिक प्रक्रिया का घोर दुरुपयोग मानी जाएगी?

11. एफआईआर, बीएनएसएस की धाराओं 180 और 183 के अंतर्गत दर्ज पीड़िता के बयान तथा मामले के अभिलेख के साधारण पठन से निम्नलिखित तथ्य प्राप्त होते हैं;

11.1 पीड़िता का आरोपी से एक सोशल मीडिया ऐप के माध्यम से संपर्क हुआ;

11.2 आरोपी आवेदक पहले से ही विवाहित है;

11.3 वर्ष 2018 में पीड़िता को एक होटल में बुलाया गया और विवाह के झूठे वादे पर उसके साथ यौन संबंध स्थापित किए गए।

11.4 एफआईआर दर्ज कराते समय पीड़िता गर्भवती थी और उसने 01.10.2025 को एक बच्ची को जन्म दिया। चिकित्सीय प्रमाणपत्र में पिता का नाम आवेदक संख्या 1 के नाम के रूप में दर्ज है।

11.5 आरोपी आवेदक द्वारा यह स्वीकार किया गया है कि पीड़िता से जन्मा बच्चा आरोपी आवेदक संख्या 1 का है;

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11.6 पीड़िता को विवाह के झूठे वादे पर बार-बार यौन संबंध बनाने के लिए बाध्य किया गया;

11.7 समझौता करने के लिए पीड़िता और उसके परिवार पर लगातार दबाव डाला जा रहा है।

12. आरोपी आवेदक नंबर 1 के खिलाफ शादी का झूठा वादा करके यौन संबंध बनाने, आपराधिक धमकी देने और अन्य आवेदकों को जान-बूझकर चोट पहुँचाने के अपराध के लिए चार्जशीट दाखिल की गई है।

12. अभियुक्त आवेदक संख्या 1 के विरुद्ध आरोपपत्र यौन संबंध बनाने के लिए विवाह के झूठे वादे पर किए गए अपराध तथा आपराधिक धमकी एवं अन्य आवेदकों को स्वेच्छा से चोट पहुँचाने के अपराध के लिए प्रस्तुत किया गया है।

13. इस न्यायालय ने **कुलदीप वर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं एक अन्य 5** के मामले का निर्णय करते समय (न्यायाधीश अवनीश सक्सेना द्वारा लिखित) भारतीय न्याय संहिता, 2023 की नई धारा 69 पर विचार किया है। संबंधित अनुच्छेद संख्या 15, 16 और 21 नीचे पुनः उद्धृत किए गए हैं:

“15. भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 69 यह प्रावधान करती है कि “जो कोई, छलपूर्ण साधनों द्वारा या किसी महिला से विवाह करने का वादा इस आशय के बिना कि उसे पूरा किया जाएगा, उसके साथ यौन संबंध स्थापित करता है, और ऐसा यौन संबंध बलात्कार के अपराध के अंतर्गत नहीं आता है,

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उसे किसी भी प्रकार के कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक हो सकती है, दंडित किया जाएगा और वह जुर्माने के लिए भी उत्तरदायी होगा।”

16. बी.एन.एस. की धारा 69 में निहित प्रावधान आपराधिक विधि में एक नया समावेशन है, जिसके अंतर्गत किसी महिला के साथ धोखाधड़ीपूर्ण साधनों, जिसमें विवाह का झूठा वादा भी शामिल है, के माध्यम से किया गया यौन संबंध ‘बलात्कार’ नहीं माना जाता, लेकिन उसे दंडनीय बनाया गया है। इस अधिनियम के पूर्व, न्यायालय पक्षकारों के आचरण की व्याख्या भारतीय दंड संहिता की धारा 375 (बलात्कार) के प्रावधानों के साथ-साथ धारा 90 आई.पी.सी. (ऐसी सहमति जो भय या गलत धारणा के तहत दी गई हो, यह जानते हुए) के प्रावधानों के संदर्भ में करते थे। बी.एन.एस. की धारा 69 के अंतर्गत ‘धोखाधड़ीपूर्ण साधनों’ की दी गई व्याख्या में यह शामिल होगा कि “रोज़गार या पदोन्नति के झूठे वादे, प्रलोभन, या पहचान छिपाकर विवाह करने का आश्वासन”।

21. अन्यथा भी धारा 69 बी.एन.एस. यौन संबंध को छलपूर्ण साधनों के माध्यम से तथा विवाह के झूठे वादे के आधार पर बनाए जाने को ऐसे छलपूर्ण साधनों में से एक के रूप में प्रावधानित करती है। **प्रमोद सूर्यभान पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य (2019) 9 SCC 608** मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ‘विवाह के झूठे वादे, जो देने वाले की इस समझ के साथ दिया जाता है कि उसे तोड़ा जाएगा’ और ‘ऐसे वादे का उल्लंघन जो सद्भावना में किया गया था लेकिन बाद में पूरा नहीं किया गया’ के बीच स्पष्ट अंतर स्थापित किया है। इनमें से पहला ही स्पष्ट रूप से दंडात्मक प्रावधान को आकर्षित करता है।”

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



14. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता ने माननीय सर्वोच्च न्यायालय के तीन निर्णयों पर भरोसा किया है। **अमोल भगवान नेहुल (उपर्युक्त)** का मामला वर्तमान मामले में लागू नहीं होता क्योंकि उस मामले के तथ्य यह हैं कि विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप, जो एक वर्ष से अधिक समय तक जारी रहे, एक ऐसी महिला द्वारा लगाए गए थे जिसके पास एक बच्चा था, जिसने अपने पूर्व पति से औपचारिक तलाक नहीं बल्कि खुलानामा प्राप्त किया था, और आरोप एक छात्र पर लगाए गए थे, जो तीन अन्य पुरुषों के साथ पड़ोस में रहता था। इसी पृष्ठभूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 11 में आपराधिक मामले की कार्यवाही को निरस्त किया था। संबंधित अनुच्छेद संख्या 11 को नीचे पुनः उद्धृत किया गया है:-

11. इस बात को ध्यान में रखते हुए कि अपीलकर्ता की आयु मात्र 25 वर्ष है और उसके सामने पूरा जीवन पड़ा है, न्याय के हित में यह उचित होगा कि उसे आसन्न मुकदमे का सामना न करना पड़े और इसलिए, सी.आर. संख्या 490/2023 दिनांक 31.07.2023 से उत्पन्न कार्यवाही को इसी चरण पर निरस्त कर दिया जाए।

15. **महेश दामू खरे (उपर्युक्त)** का मामला भी वर्तमान तथ्यों की स्थिति में लागू नहीं होता, क्योंकि उस मामले में पीड़िता को यह ज्ञात था कि अभियुक्त की दो पत्नियाँ थीं, जबकि वह उसके घर में कार्यरत थी। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह अवलोकन किया कि विवाह के झूठे वादे पर स्थापित यौन संबंध को छलपूर्ण साधनों द्वारा किया गया बलात्कार नहीं माना जा सकता। आवेदक के अधिवक्ता द्वारा जिस निर्णय पर भरोसा किया गया है, उसके अनुच्छेद संख्या 26 और 27 को नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा है:-

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



“26. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता के बीच संबंध की प्रकृति को निम्नलिखित विशेषताओं द्वारा वर्णित किया जा सकता है:”

(i) अपीलकर्ता और शिकायतकर्ता 2008 से एक-दूसरे से परिचित थे। शिकायतकर्ता स्वयं स्वीकार करती है कि अपीलकर्ता 2017 तक उसके साथ शारीरिक संबंध में रहा, जबकि वह यह आरोप लगाती है कि यह उसके बिना सहमति के किया गया था और इसके बावजूद उसने कोई आपत्ति नहीं जताई।

(ii) शारीरिक संबंध नियमित रूप से चलते रहे। लेकिन शिकायतकर्ता ने अपनी शिकायत में कहा है कि दिसंबर, 2010 में जब उसने शिरवाने, नेरुल सेक्टर 1, नवी मुंबई में एक किराए का कमरा लिया, तो अपीलकर्ता रोज़ आता था और हर दिन यौन संबंध बनाता था, हालांकि उसकी सहमति के बिना और विवाह के झूठे वादे देकर।

(iii) शिकायतकर्ता एक भोली-भाली और आसानी से धोखा खाने वाली महिला प्रतीत नहीं होती, जो अपीलकर्ता के साथ शारीरिक संबंध बनाए रखते हुए धोखे की शिकार हो सकती थी, और झूठे वादे का आरोप केवल तब सामने आया जब अपीलकर्ता ने आगे वित्तीय और अन्य सहायता देने से इनकार कर दिया।

(iv) शिकायतकर्ता का आचरण स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वह एक परिपक्व व्यक्ति है जो अपने कार्यों के परिणामों को समझने में पूरी तरह सक्षम है और वह उस प्रकार के अवैध संबंध के बारे में पूरी तरह जागरूक थी जिसे वह एक विवाहित व्यक्ति के साथ बनाए हुए थी।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



(v) शिकायतकर्ता को पूरी तरह ज्ञात था कि अपीलकर्ता पहले से ही विवाहित है और उसकी दो पत्नियाँ हैं, हालांकि उनमें से एक की तबीयत ठीक नहीं थी।

27. अतः, उपरोक्त से यह प्रतीत होता है कि उक्त अवधि के दौरान यह एक विवाहेतर संबंध था, जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा अपीलकर्ता से विवाह करने के लिए कोई आग्रह नहीं किया गया था। यह तथ्य कि शिकायतकर्ता ने बिना विवाह के किसी आग्रह के लंबे समय तक शारीरिक संबंध बनाए रखे, इस बात की संभावना को कम करता है कि अपीलकर्ता द्वारा उससे विवाह करने का कोई ऐसा वादा किया गया था, और यह इसके बजाय यह इंगित करता है कि संबंध सहमति से था।”

16. इसी प्रकार **उदय (उपर्युक्त)** का मामला भी वर्तमान मामले में लागू नहीं होता, क्योंकि उस मामले में अभियुक्त और पीड़िता पड़ोसी थे और नियमित रूप से एक-दूसरे से मिलते थे। एक बार अभियुक्त ने उससे विवाह का प्रस्ताव रखा था, जिसे पीड़िता ने अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि वह अलग जाति से संबंधित थी। इसके बाद पीड़िता द्वारा विवाह के झूठे वादे पर बलात्कार के आरोप लगाए गए थे। अधिवक्ता द्वारा आवेदक की ओर से जिस संबंधित पैराग्राफ 21 पर भरोसा किया गया है, उसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:-

“21. इसलिए, ऐसा लगता है कि न्यायिक राय इस बात के पक्ष में है कि अगर कोई महिला किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति देती है जिससे वह बहुत प्यार करती है और वह व्यक्ति बाद में शादी करने का वादा करता है, तो इस सहमति को 'तथ्य की गलतफहमी' में दी गई सहमति नहीं माना जा सकता।

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



कोड के अर्थ में, झूठा वादा कोई 'तथ्य' नहीं है। हम इस राय से सहमत हैं, लेकिन हमें यह भी कहना होगा कि यह तय करने का कोई तय फॉर्मूला नहीं है कि महिला की शारीरिक संबंध बनाने की सहमति स्वेच्छा से दी गई थी या तथ्य की गलतफहमी में। आखिरकार, सहमति के सवाल पर विचार करते समय अदालतों द्वारा तय किए गए नियम न्यायिक सोच के लिए केवल मार्गदर्शन का काम करते हैं; लेकिन किसी नतीजे पर पहुँचने से पहले अदालत को हर मामले में अपने सामने मौजूद सबूतों और आस-पास की परिस्थितियों पर विचार करना चाहिए, क्योंकि हर मामले के अपने खास तथ्य होते हैं जो इस सवाल पर असर डाल सकते हैं कि सहमति स्वेच्छा से दी गई थी या तथ्य की गलतफहमी में अदालत को सबूतों पर विचार करते समय इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अपराध के हर पहलू को साबित करने की ज़िम्मेदारी अभियोजन पक्ष की होती है, और सहमति का न होना भी उनमें से एक है।”

17. इस मामले में आरोपी एक शादीशुदा व्यक्ति है और वह सोशल मीडिया ऐप के ज़रिए पीड़िता के संपर्क में आया था। उसने पीड़िता को एक होटल में बुलाया, जहाँ आरोपी नंबर 1 ने पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता का कहना है कि उसे यह नहीं पता था कि आरोपी नंबर 1 शादीशुदा है। उसे यह भी नहीं पता था कि आरोपी नंबर 1 उसके गाँव की ही एक लड़की का पति है। शारीरिक संबंध बनाते समय पीड़िता को यह पता था या नहीं कि आरोपी नंबर 1 शादीशुदा है, यह विचारण का विषय है, क्योंकि रिकॉर्ड से यह बात साफ और स्पष्ट है कि पीड़िता को आरोपी नंबर 1 की वैवाहिक स्थिति के बारे में जानकारी नहीं थी। इसके अलावा, पीड़िता के साथ शारीरिक संबंध बनाते समय आरोपी नंबर 1 को यह पता था कि वह एक शादीशुदा व्यक्ति है और पीड़िता से शादी का उसका झूठा वादा टूट जाएगा; इसलिए, धोखा देने का आरोप शारीरिक संबंध बनाने की शुरुआत से ही बनता है। आरोपी

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



नंबर 1 की शादी के बारे में जानते हुए शारीरिक संबंध बनाने के लिए सहमति का मुद्दा विचारण का विषय है, और अन्य सह-आरोपियों (आरोपी नंबर 2 से 4) पर लगाए गए आपराधिक धमकी के आरोप भी रिकॉर्ड पर स्पष्ट हैं और विचारण का विषय हैं।

18. सीआरपीसी की धारा 482 या बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत उच्च न्यायालय की शक्तियों का दायरा अत्यन्त व्यापक है, लेकिन इनका इस्तेमाल सावधानी से और बहुत ही खास या उचित मामलों में ही किया जाना चाहिए। यह शक्ति मनमाने ढंग से या अपनी इच्छा से काम करने का अधिकार नहीं देती; इसका इस्तेमाल कानूनी प्रक्रिया के गलत इस्तेमाल को रोकने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। विधि का यह सिद्धांत 'कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी बनाम हरियाणा राज्य' और 'हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल' के मामलों में बताया गया है। 'सोम मित्तल बनाम कर्नाटक सरकार' के मामले में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के क्षेत्राधिकार का वर्णन करते हुए 'विरलतम मामलों' की अभिव्यक्ति का प्रयोग किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित इस दृष्टिकोण को आज तक निरंतर बनाए रखा गया है और यह अनेक निर्णयों द्वारा विधि का स्थापित सिद्धांत बन चुका है। नवीनतम निर्णयों में 'नरेश पॉटरीज़ बनाम आरती इंडस्ट्रीज़' और 'पुनीत बेरीवाला बनाम दिल्ली राज्य (एनसीटी)' प्रमुख हैं।

19. इसलिए, बीएनएसएस की धारा 528 के अंतर्गत प्रस्तुत यह आवेदन गुण-दोष रहित होने के कारण **खारिज** किया जाता है।

(न्यायमूर्ति अवनीश सक्सेना)

दिनांक: 23.02.2026

अस्वीकरण: "अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।